भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 81 (आर.ई.–2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 13 जून, 2014

विषयः दुग्ध पाउडर, गेहूँ, खाद्य तेल, दालों और गैर बासमती चावल के निर्यात पर भारत द्वारा निर्यात प्रतिबंधों से भूटान को छूट।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2009–2014 के पैरा 1.3 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भूटान को निम्नलिखित मदों को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट प्रदान करती हैः

(i) दुग्ध पाउडर
(ii) गेहूँ
(iii) खाद्य तेल
(iv) दाल
(v) गैर बासमती चावल

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

भूटान को उपरोक्त मदों के निर्यात पर बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के छूट होगी। यह पूर्व की दिनांक 05.12.2011 की अधिसूचना सं.87 और दिनांक 05.3.2012 की अधिसूचना सं.104 को अधिक्रमित करती है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/1097/एएम12/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)